मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–197

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के छठवें चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों व गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

29 अप्रैल (सोमवार) को नामांकन प्रथम दिन 04 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

इलाहाबाद में 01, आजमगढ़ में 01, जौनपुर में 01, मछलीशहर में 01 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

06 मई नामांकन की अंतिम तिथि, 25 मई को होगा मतदान

दिनांक 29 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया संचालित है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के छठवें चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 292–गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए 29 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के प्रथम दिन 04 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छठवें चरण में 29 अप्रैल को 04 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इसमें :–

52–इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए इण्डियन नेशनल कांग्रेस से उज्ज्वल रमण सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 69–आज़मगढ़ लोकसभा सीट के लिए जन राज्य पार्टी से पारस यादव ने नामांकन किया। 73–जौनपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह ने तथा 74–मछलीशहर (अ0जा0) लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से भोलानाथ सरोज (बी0पी0 सरोज) ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तथा 292–गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के छठवें चरण के अंतर्गत 14 लोकसभा सीटों में 38–सुल्तानपुर, 39–प्रतापगढ़, 51–फूलपुर, 52–इलाहाबाद,

55—अम्बेडकरनगर, 58—श्रावस्ती, 60—डुमरियागंज, 61—बस्ती, 62—सन्त कबीर नगर, 68—लालगंज (अ0जा0), 69—आज़मगढ़, 73—जौनपुर, 74—मछलीशहर (अ0जा0), 78—भदोही हेतु चुनाव सम्पन्न किया जाना है। छठवें चरण की 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 02 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। छठवें चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा भदोही सहित 15 जिलों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार 292—गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र जिला बलरामपुर के अन्तर्गत आता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन—2024 के छठवें चरण की 14 लोकसभा सीटों तथा 292—गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन—2024 के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 06 मई, 2024 (सोमवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 07 मई (मंगलवार) को की जायेगी। 09 मई, 2024 (गुरूवार) को अपराह्न 03 बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके उपरान्त इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची अन्तिम हो जायेगी। छठवें चरण का मतदान 25 मई, 2024 (शनिवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी।

उन्होंने बताया कि छठवें चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2.69 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 1.42 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.27 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 17113 मतदान केन्द्र तथा 28171 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। इसी प्रकार 292—गैंसड़ी विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3.62 लाख मतदाता है, जिसमें 1.93 लाख पुरुष मतदाता तथा 1.69 लाख महिला मतदाता है।

उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये गये है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन—2024 हेतु सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। विधानसभा उप चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 10,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 5000 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक

प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म–ए तथा फार्म–बी नामांकन की अंतिम तिथि 06 मई, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करना होगा।

————————